न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विनोद कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
230/2023	14.06.2023	26.10.2023

उनवान

1. अंकुर पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी कांचीपुरम भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. अंकिता मंगला पुत्री शंकरलाल अग्रवाल निवासी कांचीपुरम भीलवाडा।
3. अभिलाषा पुत्री शंकरलाल अग्रवाल निवासी कांचीपुरम भीलवाडा।
4. अभिषेक पुत्र शंकरलाल अग्रवाल निवासी कांचीपुरम भीलवाडा।
5. जगदीश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल अग्रवाल निवासी कांचीपुरम भीलवाडा।
6. मंजुलता पत्नि शंकरलाल अग्रवाल निवासी कांचीपुरम भीलवाडा।
7. राजकुमार पुत्र हरनारायण अग्रवाल निवासी लक्ष्मीनारायण मन्दिर रोड भीलवाडा।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमति नारायणी पत्नि रामा भील निवासी दांताजती तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री मुरारीलाल पुत्र शंकर लाल भील निवासी श्यामपुरा जालम की झोपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
3. श्री मुरारीलाल पुत्र शंकरलाल मीणा निवासी श्यामपुरा जालम की झोपडिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा।
4. श्री मांगु पुत्र गोकुल भील निवासी दांताजति तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्री रतन पुत्र रामा भील निवासी दांताजति तहसील व जिला भीलवाडा।
6. लाडु पुत्री रामा भील आयु नाबालिग जरिये संरक्षक सरपरस्त माता श्रीमति नारायणी पत्नि रामा भील निवासी दांताजति तहसील व जिला भीलवाडा।
7. श्रीमति कन्या देवी पत्नि बंशी सालवी निवासी हरणीखुर्द तहसील व जिला भीलवाडा।
8. काना पुत्र रूपा जाट निवासी सालरिया तहसील व जिला भीलवाडा।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–विपक्षीगण

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थीगण अंशुल शर्मा
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम :–

–: निर्णय :–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सालरिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 282/2 रकबा 0.7334 है0, 285/4 रकबा 0.3414 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है। प्रार्थीगण वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।

और अप्रार्थीगण जैर–बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थीगण खातेदारी आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से आदिनांक को अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया।

प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईश्तदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन् किया एंव पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के खातेदार होने से सीमांकन(पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम,1956 स्वीकार किया जाता है।

तथा तहसीलदार भीलवाडा को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया जाता है कि मौजा सालरिया प0ह0 मण्डपिया भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र आटूण तहसील व जिला भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के खाता संख्या 39 की अभिलिखित आराजियात आराजी संख्या 282/2 रकबा 0.7334 है0, 285/4 रकबा 0.3414 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.0748 हैक्टेयर भूमि फरिकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार भीलवाडा को 1000–00 अक्षरे एक हजार रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार भीलवाडा को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भिजवाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26.10.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26.10.23

(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा